सं.डी-31016/8/2009-सामान्य

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग

नई दिल्ली-110001 दिनांक 31.08.2012

विषय: सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली में कैंटीन चलाने का ठेका ।

1. पटेल भवन में भारत सरकार के 5 मंत्रालय/विभाग हैं तथा इसके पांचवें तल पर कैंटीन अवस्थित है जिसका उपयोग इन मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ इन प्रतिष्ठानों में आने वाले आगंतुकों द्वारा किया जाता है । खाद्य पदार्थों, चाय, कॉफी, लंच, सॉफ्ट ड्रिंक, डिजर्ट आदि की सीधी बिक्री करने के साथ-साथ कैंटीन संचालक को सरकारी बैठकों के लिए पैक किए हुए लंच/नाश्ता आदि उपलब्ध कराना पड़ता है । निविदाएं 25 सितंबर, 2012 (अपराह्न 3.00 बजे तक) तक, अवर सचिव (सामान्य), कमरा सं.201, दूसरा तल, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजी जा सकती हैं । निविदा उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे खोली जाएगी । ठेके के लिए आवेदन करने वाले फर्मों के प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं । तकनीकी बोली (अर्थात योग्यता मापदंड) तथा वित्तीय बोली अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जानी चाहिए । वित्तीय बोली सिर्फ उन्हीं विक्रेताओं की खोली जाएगी जो निविदा में उल्लिखित योग्यता मापदंड पर खरे उतरते हों ।

2. निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों पर कैंटीन चलाने के लिए सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं:

    i. ठेकेदार ISO:9001:2008 प्रमाणित हो तथा उसके पास अपने उत्पादों की गुणवत्ता हेतु SQF सर्टिफिकेट हो ।

    ii. वित्त वर्ष 2011-12, 2010-11 तथा 2009-10 के दौरान इस क्षेत्र में ठेकेदार का प्रति वर्ष औसत टर्नओवर 50 करोड़ रूपए से कम न हो ।

    iii. ठेकेदार के पास भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के कम से कम 2 प्रतिष्ठानों में संतोषजनक तरीके से ऐसी कैंटीन चलाने का अनुभव हो ।

    iv. ठेकेदार के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कैटरिंग लाइसेंस हो ।

    v. ठेकेदार प्रतिमाह प्रति नल 100 रूपए की दर से जल प्रभार तथा प्रतिमाह कारपेट एरिये के अनुसार 19 रूपए प्रति स्कवायर फीट की दर से लाइसेंस फी देने के लिए उत्तदायी होगा ।

    vi. निम्नलिखित सुविधाएं मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएंगी तथा ठेकेदार इनके सही तरीके से इस्तेमाल करने, उन्हें सुरक्षित रखने, उनकी मरम्मत तथा रखरखाव करने का जिम्मेदार होगा तथा ठेका समाप्त होने पर इन वस्तुओं को सही दशा में वापस करेगा । ठेकेदार निम्नलिखित की मरम्मत तथा रखरखाव के संबंध में किसी व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं करेगा:

क) स्टोर के साथ किचेन, प्रबंधक का कमरा, कूपन/कैश काउंटर तथा सर्विंग हॉल

ख) जल आपूर्ति

ग) बिजली

घ) इंटरकॉम सुविधा

ङ) खाली गैस सिलेंडर

च) सर्विस काउंटर, डीप फ्रीजर, हॉट केस, टी-बॉयलर, कुर्सी एवं मेज, वाटर बॉयलर, तंदूर, ग्राइंडिंग मशीन, डिश वाश बेसिन सेट आदि ।

(वस्तुओं/गैजट का ठीक-ठीक ब्यौरा ठेकेदार को कैंटीन सौंपते समय तय किया जाएगा)

vii. निविदा भरते समय वेतन एवं लेखा अधिकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सरदार पटेल भवन,नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के रूप में 60,000 रूपए (साठ हजार रूपए मात्र) की बयाना जमा राशि (EMD) जमा करनी होगी । ठेका प्राप्त करने वाले ठेकेदार को निष्पादन सुरक्षा के संबंध में बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के रूप में अन्य 1,40,000 रूपए (कुल मिलाकर 2 लाख रूपए की राशि) जमा करने होंगे जो ठेके की अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद वापस कर दिए जाएंगे । ठेका प्राप्त न करने वाले ठेकेदारों की बयाना जमा राशि निविदा खोलने के एक महीने के भीतर वापस कर दी जाएगी ।

viii. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भोजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कच्ची सामग्री की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो, मानवीय उपभोग के लिए सुरक्षित हो तथा इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो । फूड प्वायज़निंग/संदूषण की घटना होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा उसे फूड प्वायज़निंग/संदूषण के कारण होने वाली जिम्मेदारियों तथा कानून के अंतर्गत अन्य पेनल कार्रवाई का वहन करना पड़ेगा ।

ix. ठेकेदार को परिसर में उचित स्वच्छता प्रबंध/स्वास्थ्यकर माहौल सुनिश्चित करना होगा तथा संक्रामक रोगों से मुक्त लोगों को नियुक्त करना होगा ।

x. मंत्रालय द्वारा वांछित सेवा मानकों तथा दक्षता को पूरा करने के लिए ठेकेदार को मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा । प्रबंधन समिति के साथ परामर्श करके कैंटीन के वर्तमान कर्मचारियों को उनकी योग्यतानुसार काम पर लगाने के बारे में सोचा जा सकता है ।

xi. ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए व्यक्तियों के पूर्ववृत्त को सत्यापित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा वह प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में इस आशय का प्रमाणपत्र मंत्रालय को प्रदान करेगा ।

xii. खाद्य पदार्थों को साफ-सुथरे बर्तनों में परोसा जाएगा तथा कैफेटेरिया के स्टाफ उचित पोशाक में होंगे ।

xiii. मंत्रालय द्वारा अनुमोदित खाद्य पदार्थों के मूल्य को कैफेटेरिया में काउंटर/नोटिस बोर्ड पर दर्शाया जाएगा । ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली आइटमों की अस्थाई सूची इस निविदा के अनुबंध में संलग्न है । हालांकि ठेकेदार अपनी पसंद के अनुसार आइटमों को जोड़ सकता है ।

xiv. ठेकेदार को भुगतान आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के कमरे में चाय/कॉफी, कोल्ड-ड्रिंक, ब्रेकफास्ट/लंच/डिनर आदि पहुंचाने की भी व्यवस्था करनी होगी ।

xv. ठेकेदार को उधार पर लंच/नाश्ते/चाय आदि पहुंचाने की भी व्यवस्था करनी होगी तथा वह इसके बिल को मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अगले महीने में भुगतान हेतु प्रशासन को प्रस्तुत करेगा ।

xvi. ठेकेदार को उधार पर एमआरपी दरों के अनुसार शुगर पैकेट/शुगर क्यूब, मिल्क पाउडर, चाय, जूस, बिस्कुट, नमकीन, ड्राईफ्रूट जैसे पैकेटबंद/ब्रैंडेड खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने के लिए भी कहा जा सकता है ।

xvii. भोजन की व्यवस्था करने के लिए कैंटीन सभी कार्यदिवसों को कार्यालय अवधि के दौरान खुला रहेगा । वर्तमान समय में कार्य अवधि सुबह 9.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक है । आवश्यकता पड़ने पर कैंटीन को शनिवार एवं रविवार को भी खोलने को कहा जा सकता है । हालांकि कैंटीन शनिवार/रविवार तथा अन्य सरकारी छुट्टियों को बंद रहेगा जब तक कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रशासन द्वारा खासतौर से इसको खोलने के लिए न कहा जाए ।

xviii. सुबह 9.00 बजे से शाम के 6.00 बजे के दौरान आवश्यकतानुसार कार्यालय तथा मीटिंग रूम में उपयुक्त समय के भीतर ठेकेदार को किसी भी समय रूम सर्विस देनी होगी । ऐसा न करने पर अनुमोदित वस्तुओं को ठेकेदार अपनी जोखिम एवं लागत पर मंत्रालय को मुहैया कराएगा ।

xix. कैंटीन में साफ-सफाई एवं उचित सेवा सुनिश्चित करने के लिए इसकी कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने हेतु इस मंत्रालय द्वारा कैंटीन प्रबंधन समिति नामित की जाएगी । यदि समिति ठेकेदार की ओर से लगातार गलती अथवा कमी को नोटिस करती है तो कैंटीन प्रबंधन समिति का संयुक्त सचिव तथा/अथवा अध्यक्ष 5000/- रूपए तक का जुर्माना लगा सकता है ।

xx. सेवाएं असंतोषजनक पाई जाने पर अथवा नियमों एवं शर्तों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन होने पर ठेका 1 महीने के नोटिस पर बीच में ही समाप्त किया जा सकता है । यदि उपबंध के अंतर्गत ठेके की बीच में ही समाप्ति होने पर 2,00,000/- रूपए की जमा राशि भी जब्त कर ली जाएगी ।

xxi. कैंटीन परिसर में बिजली के उपभोग का भुगतान सब-मीटर के अनुसार ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

xxii. ठेका 2 वर्षों के लिए होगा । हालांकि शुरू में यह एक साल के लिए ही दिया जाएगा । यदि नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत इसका संतोषजनक निष्पादन होता है तो ठेके को और एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा ।

xxiii. यदि कोई भी पक्ष समय से पहले ही करार को समाप्त करना चाहे तो उसे लिखित में 2 महीने का नोटिस देना होगा । यदि मंत्रालय इच्छा जताए तो ठेकेदार को परिसर खाली करना होगा तथा उसे सभी फर्नीचरों, फिटिंग तथा अन्य वस्तुओं एवं यदि और भी कुछ प्रदान किया गया है तो उसके साथ-साथ परिसर को मंत्रालय को सौंप देना होगा । मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा ।

xxiv. यदि ठेकेदार मंत्रालय की संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान या क्षति पहुंचाता है तो वह इसकी भरपाई करने का जिम्मेदार होगा, हालांकि इसमें उचित उपयोग अथवा टूट-फूट अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली क्षति शामिल नहीं है ।

xxv. ठेकेदार को अपने फर्म के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन-कार्ड नंबर तथा सेवाकर रजिस्ट्रेशन संख्या के साथ-साथ निविदा में दी गई सूची के अनुसार संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रदान करनी होगी । यह पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी कि वह कैटरिंग सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी निकायों तथा/अथवा एनडीएमसी से आवश्यक लाइसेंस/अनुमति प्राप्त करे तथा उसे तैयार रखे एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करे ।

(के.आर. शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23747929 फैक्स: 23342384

<u>अनुबंध-1</u>

<u>मूल्य-सूची</u>

क्रम सं.	आइटम का नाम			यूनिट	राउंड फिगर में अनुमानित मूल्य (रूपए में)	
1.	शाकाहारी लंच (i) एक मौसमी सूखी सब्जी (ii) दाल/कढ़ी/राजमा/ छोले/चना (iii) रायता/दही (iv) सलाद (v) पापड़ (vi)अचार (vii) 3 चपाती और चावल			प्रति थाली		रू.
2.	स्पेशल शाकाहारी लंच (I) मशरूम मटर (ii) मटर पनीर/मलाई कोफ्ता (iii)दाल/राजमा (iv)3 चपाती (v) चावल (vi)सलाद (vii)पापड़, अचार (viii) मिठाई			प्रति थाली		रू.
3.	मौसमी सब्जी (150 मिली.)			प्रति प्लेट		रू.
4.	स्पेशल सब्जी (150 मिली.)			प्रति प्लेट		रू.
5.	i.	छोले		प्रति प्लेट		रू.
	ii.	दाल				
	iii.	राजमा				
	iv.	कढ़ी				
	v.	दही				
	vi.	रायता				
	vii.	चिकन करी				
	viii.	मटन करी				
	ix.	अंडा करी				
6.	(i)	दाल-चावल		प्रति प्लेट	i.	रू.
	(ii)	मटर पुलाव		प्रति प्लेट	ii.	रू.
7.	i.	एसप्रेसो कॉफी		एक कप	i.	रू.
	ii.	टी वेंडिंग मशीन		एक कप	ii.	रू.
	iii.	टी बैग चाय		एक कप	iii.	रू.
	iv.	काफी (वेंडिंग मशीन)		एक कप	iv.	रू.
8.	विभिन्न प्रकार की कोल्ड ड्रिंक टेट्रापैक में फ्रूटी/पिंगो कोल्ड ड्रिंक पोस्ट मिक्स मशीन कोकाकोला/ लिम्का/फैंटा आदि			बाजार दर के अनुसार		रू.
9.	विभिन्न प्रकार के मीठे एवं नमकीन बिस्कुट			बाजार दर के अनुसार		रु.

10.	i.	हरा सलाद		प्रति प्लेट	i.	रु.
	ii.	सूप (मौसमी)		प्रति कप	ii.	रु.
	iii.	पापड़		प्रति पीस	iii.	रु.
	iv.	अचार		प्रति पाउच	iv.	रु.
11.	i.	स्वीट डिश		प्लेट (2 पीस)	i.	रु.
	ii.	खीर		प्लेट	ii.	रु.
	iii.	कस्टर्ड		प्लेट	iii.	रु.
	iv.	पेस्ट्रीज़		प्रति पीस	iv.	रु.
	v.	आइसक्रीम		बाजार दर के अनुसार	v.	रु.
	vi.	फ्रूटक्रीम		150 ग्राम	vi.	रु.
	vii.	रसगुल्ला/गुलाब जामुन		2 पीस	vii.	रु.
12.	i.	चपाती		एक	i.	रु.
	ii.	नान		एक	ii.	रु.
	iii.	पराठा		एक	iii.	रु.
	iv.	पूरी		एक	iv.	रु.
13.	सुबह/शाम के लिए बढ़िया स्नैक्स					.
	i.	आलू बोंडा	प्रति पीस		i.	रु.
	ii.	समोसा	प्रति पीस		ii.	रु.
	iii.	पकोड़ा	प्रति पीस		iii.	रु.
	iv.	वड़ा	प्रति पीस		iv.	रु.
	v.	इडली	प्रति पीस		v.	रु.
	vi.	मक्खन के साथ ब्रेड स्लाइस	20 ग्राम+4 स्लाइस		vi.	रु.
	vii.	मक्खन के साथ ब्रेड टोस्ट	20 ग्राम+4 स्लाइस		vii.	रु.
	viii.	छोले-भटूरे	प्रति पीस		viii.	रु.
	ix.	छोले-कुलचे	प्रति पीस		ix.	रु.
	x.	वेज कटलेट	प्रति पीस		x.	रु.
	xi.	वेज बर्गर	प्रति पीस		xi.	रु.
	xii.	एग पकोड़ा	प्रति पीस		xii.	रु.
	xiii.	उबले हुए अंडे	प्रति पीस		xiii.	रु.
	xiv.	ऑमलेट (एक अंडे का)	प्रति पीस		xiv.	रु.
	xv.	ब्रेड पकोड़ा	प्रति पीस		xv.	रु.
	xvi.	पनीर पकोड़ा	प्रति पीस		xvi.	रु.
	xvii.	मसाला डोसा	प्रति पीस		xvii.	रु.
	xviii.	प्लेन डोसा	प्रति पीस		xviii.	रु.
	xix.	वेज पैटी	प्रति पीस		xix.	रु.

	xx. कचौरी — प्रति पीस		xx. रु.
	xxi. सैंडविच — प्रति पीस		xxi. रु.
	xxii. चीज़ सैंडविच — प्रति पीस		xxii. रु.
	xxiii. पनीर कुलचा — प्रति पीस		xxiii. रु.
	बैठकों के लिए चाय-नाश्ता, लंच		
14.	चाय एवं सांयकालीन नाश्ते के लिए	निर्धारित मेन्यू के अनुसार	रु.
15.	बैठकों के लिए बिस्कुट के साथ चाय/कॉफी	प्रति व्यक्ति	रु.
16.	बैठकों के लिए नाश्ते के साथ चाय/कॉफी (मेन्यू के ब्यौरे) (i) समोसा/कचौरी/ढोकला (ii) पनीर पकोड़ा (iii) मिठाई	प्रति व्यक्ति	रु.
17.	बैठकों के लिए शाकाहारी लंच/डिनर (पैकेटबंद) (मेन्यू के ब्यौरे) (i) दाल मखनी (ii)शाही पनीर (iii)रायता (iv)चावल पुलाव (v)दो चपाती (vi)पापड़ (vii) सलाद(viii)मिठाई	प्रति पैकेट	रु.
18.	बैठकों के लिए लंच/डिनर (बफे) (मेन्यू के ब्यौरे) (i) दाल मखनी (ii)शाही पनीर (iii)रायता (iv)चावल पुलाव (v)दो नान/चपाती/पराठे (vi)पापड़ (vii) सलाद(viii)मिठाई	प्रति प्लेट	रु.
19.	बैठकों के लिए मांसाहारी लंच/डिनर (पैकेटबंद) (मेन्यू के ब्यौरे) (i) बटर चिकन/मटन करी (ii) दाल मखनी (iii)रायता (iv)चावल पुलाव (v)दो नान/चपाती/पराठे (vi)पापड़ (vii) सलाद(viii)मिठाई	प्रति पैकेट	रु.
20.	बैठकों के लिए मांसाहारी लंच/डिनर (बफे) (मेन्यू के ब्यौरे) (i) बटर चिकन/मटन करी (ii) दाल मखनी (iii)रायता (iv)चावल पुलाव (v)दो नान/चपाती/पराठे (vi)पापड़ (vii) सलाद(viii)मिठाई	प्रति प्लेट	रु.
21.	यदि कोई रूम सर्विस हो तो उसका शुल्क		

(विक्रेता के हस्ताक्षर)
मुहर के साथ